

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत
आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 1069/2026**

अभिषेक तिवारी उर्फ राका

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं एक अन्य

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : - अम्बरीश कुमार पाण्डेय, अब्दुल रफीकविरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथपत्र अभिलेख पर ग्रहण किया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. प्रार्थी द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र थाना- कमालपुर, जिला - सीतापुर में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम की धाराओं 2 और 3(1) के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 98/2026 में उसे अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 05.01.2026 से पूर्व, प्रार्थी को एक मामले में फंसाया गया था जिसमें वह नामजद था और पुलिस द्वारा केवल अच्छा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कार्य (गुड वर्क) दिखाने के इरादे से दिनांक 05.01.2026 को उसे अभिरक्षा में ले लिया गया था। इकबालिया बयान के आधार पर प्रार्थी को 11 मामलों में संलिप्त कर दिया गया, जिसके बाद उसे वर्तमान मामले में भी संलिप्त कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अभिरक्षा में भी प्रार्थी को प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उन्होंने मामले की विवेचना सी.बी.सी.आई.डी. या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने के निर्देश की प्रार्थना के साथ 'आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 3716/2026 (अभिषेक तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)' दायर की, जो वर्तमान में विचारणाधीन है। उक्त याचिका में, पुलिस अधीक्षक द्वारा एक व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि प्रार्थी की संलिप्तता प्रार्थी के प्रकटीकरण बयान (disclosure statement) के आधार पर पाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थी विवेचना में सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना का विरोध करते हैं। हालांकि, इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि उक्त याचिका में दिनांक 12.05.2026 को रिट न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर व्यक्तिगत शपथपत्र में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रार्थी की संलिप्तता प्रकटीकरण बयान के आधार पर पाई गई थी।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने तथा जमानत प्रार्थनापत्र की सामग्री के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि दिनांक 05.01.2026 को गिरफ्तारी के बाद प्रार्थी को केवल इकबालिया बयान के आधार पर 11 मामलों में संलिप्त किया गया था। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी अंतरिम अग्रिम जमानत का हकदार है। यदि प्रार्थी को अभिरक्षा में लिया जाता है, उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के समक्ष रु. 50,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) प्रार्थी पर जैसा अपराध करने का आरोप है या संदेह है, वह ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भागीदार नहीं होगा।

(ii) प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ होने (2) आरोप विरचित होने और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय इस प्रकार की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

7. इस वाद को दिनांक 10.08.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

8. अगली तिथि तक, उत्तरदाता प्रति-शपथपत्र दाखिल कर सकते हैं।

9. अगली तिथि पर, जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

8 जून, 2026

अर्पण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।